चित्रकूट-पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियो टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 23.02.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियो टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(2). आज दिनाँक 23.02.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री इमरान खान तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त शिवभवन पुत्र स्व0 भुल्लू निवासी हनुमानगंज कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 22 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

22 क्वार्टर देशी शराब

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री इमरान खान थाना राजापुर

2. आरक्षी लवकुश यादव

(4). आज दिनाँक 23.02.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन्स चित्रकूट में शुक्रवार की साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया । परेड निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा कर्मचारीगण का टर्न आउट चैक किया गया तथा परेड ग्राउण्ड में उपस्थित सभी टोलियों की ड्रिल देखी गयी एवं आवश्यक सुधार हेतु प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन को निर्देशित किया गया । परेड ग्राइण्ड में आर्मोरर शैलेन्द्र यादव व अश्विनी भारद्वाज द्वारा 5.56 mm इंसास राइफल, 7.62 mm SLR राइफल तथा 7.56 mm AK47 राइफल की हैण्डलिंग के सम्बन्ध में विस्तृत रुप से बताया गया। तत्पश्चात परिवहन शाखा का निरीक्षण कर वाहनों के सही रख-रखाव हेतु प्रभारी परिवहन शाखा को निर्देशित किया गया । पुलिस लाइन स्थित जिम, मैस, आरक्षी बैरिक का निरीक्षण कर प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण को साफ-सफाई हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये । महोदय द्वारा पुलिस लाइन परिसर में निर्माणाधीन 12 मंजिला आवासीय बिल्डिंग का निरीक्षण कर कार्यदायी संस्था का ठेकेदार से निर्माण कार्य समय से पूर्ण करने हेतु कहा गया।

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री श्याम प्रताप पटेल एवं पैरोकार आरक्षी अशोक कुमार यादव तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट चित्रकूट श्री तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट श्री विनीत नारायण पाण्डेय द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 205/2017 धारा 354(ख),504,506 भादवि0 व 08 पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त कुलदीप पुत्र बलदेव पण्डित निवासी ग्राम इटवा थाना कमासिन जनपद बांदा को 03 वर्ष का कारावास व 03 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>घटना का विवरणः-</u>

दिनाँक 04.09.2017 को वादी द्वारा थाना पहाड़ी में सूचना दी थी कि अभियुक्त कुलदीप उपरोक्त द्वारा उनकी नाबालिक पुत्री के साथ छेड़छाड़,गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी है । इस सूचना पर थाना पहाड़ी में 205/2017 धारा 354(ख),504,506 भादवि0 व 08 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था । मुकदमें की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री सुरेश प्रसाद शर्मा द्वारा की गयी तथा दिनाँक 04.11.2017 आरोपी के विरुद्ध आरोप-पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमा सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अनिल कुमार तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त 1. दीपक पुत्र सोनेलाल निवासी माधवगंज 2. रोहित पुत्र सोहनलाल सोनकर निवासी गयागंज 3. नागेश याज्ञिक पुत्र बच्चू याज्ञिक निवासी माधवगंज 4. इंद्र कुमार पुत्र छेदी केवट निवासी गयागंजा 5. अभिलाष कुमार पुत्र छोटेलाल निवासी अंजहाईपुर पुरानी बस्ती कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को ताश के पत्तों पर हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ 2460/- रुपए व 52 अदद ताश के पत्ते तथा जामा तलाशी 960/- रुपए बरामद किये गये । अभियुक्तों के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

<u>बरामदगीः-</u>

1.मालफड़ 2460/- रुपए व 52 अदद ताश के पत्ते

2. जामा तलाशी 960/- रुपए बरामद

<u>गिरफ्तार करने वाली टीमः-</u>

1. उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना राजापुर
2. उ0नि0 श्री शैलेंद्र कुमार सिंह
3. मुख्य आरक्षी मुकेश कुमार
4. आरक्षी प्रकाश मिश्रा
5. आरक्षी अजय मिश्रा

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार द्वारा भोली-भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुण्डा गर्दी करने वाले अभियुक्त अंकित जायसवाल उर्फ पक्का पुत्र शंकरलाल निवासी बरगदीपुरवा मजरा बेराउर थाना राजापुर जनपद चित्रकूट 2. मंजीत सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी महुआ थाना गांव राजापुर जनपद चित्रकूट के विरुद्ध 03 यूपी0 गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री चन्द्रमणि पाण्डेय तथा उनके टीम द्वारा अभियुक्ता देवमनी पत्नी स्व0 संतोष निषाद निवासी ग्राम हरिशनपुर थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब महुआ के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियक्ता के विरुद्ध थाना सरधुवा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

10 लीटर कच्ची शराब महुआ

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री चन्द्रमणि पाण्डेय थाना सरधुवा
2. आरक्षी धर्मेन्द्र कुमार
3. महिला आरक्षी श्यामलली

(9). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार एवं पैरोकार आरक्षी आकाश कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चित्रकूट श्री अजय कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चित्रकूट द्वारा पुलिस मुख्यालय से चिन्हित एवं थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 481/2011 धारा 302,324, 34 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1. राममूरत यादव पुत्र रामकिशोर यादव 2. लवकुश यादव पुत्र राममूरत यादव 3. ज्ञान सिंह पुत्र राजभान यादव 4. राजभान यादव पुत्र रामशिरोमन यादव निवासीगण पटियनपुरवा मजरा अतरसुई थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास व 33-33 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अभियुक्त राममूरत यादव पुत्र रामशिरोमन यादव निवासी पटियनपुरवा मजरा अतरसुई थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को मु0अ0सं0 499/2011 में धारा 25/27 आर्म्स एक्ट में 01 वर्ष का कारावास व 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

घटना का विवरणः-

दिनाँक 16.06.2011 को वादी श्री अनन्त राम यादव पुत्र रामबिरजन यादव निवासी पटियनपुरवा मजरा अतरसुई थाना राजापुर जनपद चित्रकूट द्वारा थाना राजापुर में सूचना दी थी कि अभियुक्तगणों द्वारा मेड़ बांधने के विवाद को लेकर वादी के भाई पवन उर्फ मुन्ना को गोली मारकर हत्या कर देना तथा अन्य लोगो को लाठी व कुल्हाडी से वार कर घायल कर देना इस सूचना पर थाना राजापुर में मु0अ0सं0 481/2011 धारा 302,324,34 भादवि0 बनाम उपरोक्त अभियुक्तगणों के विरूद्ध पंजीकृत किया

गया था। तत्कालीन उ0नि0 श्री नन्दलाल सिंह द्वारा मुकदमें की विवेचना की गयी दिनांक 22.06.2011 को उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया जिसमें अभियुक्त राममूरत यादव उपरोक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद तमंचा,02 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस 315 बोर तथा कुल्हाड़ी बरामद की गयी। बरामदगी के सम्बन्ध में थाना राजापुर में मु0अ0सं0 499/2011 में धारा 25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था आरोपियों के विरुद्ध दिनांक 21.08.2011 को माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था।

(10) श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार एवं पैरोकार आरक्षी आकाश कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चित्रकूट श्री अजय कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चित्रकूट द्वारा पुलिस मुख्यालय से चिन्हित एवं थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 481A/2011 धारा 307/34,323,325,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1. रामहरीश यादव पुत्र रामबिरजन यादव 2. अनन्तराम यादव पुत्र रामबिरजन यादव निवासीगण पटियनपुरवा मजरा अतरसुई थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 05-05 वर्ष का कारावास व 07-07 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

घटना का विवरणः-

दिनाँक 20.08.2011 को वादी राममूरत यादव पुत्र रामशिरोमन यादव निवासी पटियनपुरवा मजरा अतरसुई थाना राजापुर जनपद चित्रकूट द्वारा थाना राजापुर में सूचना दी थी कि अभियुक्तगणों द्वारा मेड़ बांधने के विवाद को लेकर लाठी व कुल्हाडी से वार कर घायल कर देना इस सूचना पर थाना राजापुर में मु0अ0सं0 481A/2011 धारा 307/34,323,325,504,506 भादवि0 बनाम उपरोक्त अभियुक्तगणों के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था। तत्कालीन उ0नि0 श्री दीनानाथ पाण्डेय द्वारा मुकदमें की विवेचना की गयी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया एवं आरोपियों के विरुद्ध दिनांक 29.10.2011 को माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था।